कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
लोक निर्माण विभाग
(लेखाशाखा)

पत्र संख्याः 265 लेखा/ लखनऊःदिनॉक 5-3- 2022

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०
समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०
स्टाफ आफीसर, लो०नि०वि०, लखनऊ
वरिष्ठ स्टाफ आफीसर(ई०-2), लो०नि०वि०, लखनऊ
निदेशक, अन्वेषणालय एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, लो०नि०वि०, लखनऊ

विषयः- वेतन निर्धारण का परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग के कार्मिकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण जो क्षेत्रीय/वृत्तीय/खंडीय कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की सेवा निवृत्ति के समय अथवा सेवा निवृत्त के फलस्वरूप वित्त नियंत्रक कार्यालय को परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाते है। उसमें से कतिपय प्रकरण त्रुटिपूर्ण पाये जाते है, जिससे सम्बन्धित प्रकरणों में अधिक भुगतान की वसूली प्रकाश में आती है और वसूली के पूर्व ही कतिपय कार्मिक सेवा निवृत्त भी हो जाते है, जिससे उनके सेवा नैवृत्तिक लाभों के निस्तारण में अडचने आती है और कतिपय कार्मिकों द्वारा वसूली के विरोध में मा० न्यायालयों में वाद भी दायर कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय स्तर पर पक्ष सही रूप से प्रस्तुत न हो पाने व स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के दृष्टॅान्त संज्ञान में आते है। नियमतः सही वेतन निर्धारण करने तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को ठीक करने एवं अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन सम्बन्धित कार्मिक के कार्यकाल में ही कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होता है।

अतएव त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त क्षेत्रीय/वृत्तीय/खंडीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ ऐसे अभियंत्रण संवर्ग के कार्मिकों जिनकी सेवा निवृत्ति में दो वर्ष शेष रह गये हो उनकी सेवा पुस्तिका मूल रूप में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के सम्बन्धित व्यवस्थापन वर्ग के माध्यम से भेजते हुए उसका परीक्षण वित्त नियंत्रक कार्यालय, लो०नि०वि० से प्रत्येक दशा में समयान्र्तगत करा लिये जायें, ताकि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन सम्बन्धित कार्मिक के कार्यकाल अवधि में ही हो सके। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी अभियंत्रण संवर्ग के कार्मिक की सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण का परीक्षण उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व न भेजकर उसके पश्चात् प्रेषित किया जाता है और जॉच के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप उसका समायोजन नही हो पाता है, तो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अभियंत्रण संवर्ग के कार्मिकों को जिन्हे ए०सी०पी०/ पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान करते हुए सम्बन्धित

क्र० पृ०उ० —

कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो उसका भी परीक्षण सम्बन्धित अभियन्ता की सेवा पुस्तिका(मूल में) प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के सम्बन्धित व्यवस्थापन वर्ग के माध्यम से भेजते हुए वित्त नियंत्रक कार्यालय से परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अभियंत्रण संवर्ग के कार्मिकों के अतिरिक्त विभाग के अन्य कार्मिकों के वेतन निर्धारणों का परीक्षण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ खंडीय कार्यालयों में तैनात खंडीय लेखाधिकारी से कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। यदि किसी कार्यालय में खंडीय लेखाधिकारी तैनात नही है तो वह अपने जनपद के किसी अन्य खंडीय कार्यालय (जहाँ खंडीय लेखाधिकारी तैनात हो) से वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका का परीक्षण सम्बन्धित कार्मिक की सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान/समायोजन की स्थिति से बचा जा सके।

इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4/8/2022

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।